जिले में 2,31,686 लाभार्थियों ने नहीं कराई केवायसी

सितंबर से कार्रवाई के संकेत, अन्यथा नहीं मिलेगा राशन

गोंदिया : पिछले साल से ही सरकार और यंत्रणा राशन धारकों से केवाईसी अपडेट करने की लगातार अपील कर रही है. फिर भी, यह बात सामने आई है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जिन लाभार्थियों को अनाज वितरित किया जा रहा है, उन्होंने केवाईसी प्रक्रिया की अनदेखी की है. इसलिए, राज्य सरकार ने संकेत दिया है कि वह आगामी महीने से सख्त कार्रवाई करेगी और केवाईसी नहीं तो अनाज नहीं की नीति अपनाएगी. गोंदिया जिले में अभी भी 2,31,686 लाभार्थी केवाईसी से दूर है उलेखनीय है कि केवाईसी कराने वाले

लाभार्थियों के प्रतिशत में यह जिला राज्य में 'टॉप फाइव' में है, आज तक, जिले में 82.74 प्रश. केवाईसी कार्य पूरा हो चुका है. सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने और धोखाधड़ी को कम करने के लिए, राज्य सरकार ने केवाईसी अपडेट करने का बीड़ा उठाया है. इसके लिए शिविर आयोजित किए गए और राशन की दुकानों में नोटिस बोर्ड के माध्यम से जनजागृति भी की गई. केवाईसी अपडेट करने की प्रक्रिया लगभग एक साल से चल रही है. फिर भी, कई लाभार्थी इस केवाईसी प्रक्रिया को आसानी से अनदेखा कर रहे हैं. इसके कारण, राज्य सरकार के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाना मुश्किल हो रहा है.

सालेकसा तहसील अव्वल

सालेकसा तहसील के राशन धारक लाभार्थियों ने अपने केवाईसी अपडेट कराने में तत्परता दिखाई है. जिले में केवाईसी प्रक्रिया में सालेकसा तहसील अव्वल है. सालेकसा तहसील में 90.95 प्रश. लाभार्थियों ने केवाईसी कराई है, वहीं सबसे कम आमगांव तहसील में 79.41 प्रश. पर है. जिले में वर्तमान में 9, 19.803 राशन कार्ड धारक हैं. इनमें से 82 प्रश. लाभार्थियों का केवाईसी पूरा हो चुका है. जबकि 2,31,686 लाभार्थियों का केवाईसी अभी भी लंबित है.

375 करोड़ भुगतान अब भी बाकी; 40 हजार किसान बोनस राशि से वंचित

गोंदिया : किसानों के खाते में धान का बोनस ट्रांसफर होने लगा है. सरकार से 70 करोड़ मिले हैं, लेकिन सभी किसानों के लिए अभी भी 10 करोड़ की जरूरत है. वहीं इस वर्ष रबी मौसम में मार्केटिंग फेडरेशन के धान खरीदी केंद्रों पर बिक्री करनेवाले किसानों के भुगतान के बकाया 375 करोड़ 66 लाख रु. अब तक नहीं मिले हैं. महाराष्ट्र सरकार ने खरीफ मौसम 2024-25 में सरकारी धान खरीदी केंद्रों पर धान की बिक्री के लिए पंजीयन

करानेवाले किसानों को 20 हजार रु. प्रति हेक्टेयर की दर से 2 हेक्टेयर की सीमा तक प्रोत्साहन राशि अर्थात बोनस देने की घोषणा की थी. जिसके तहत महाराष्ट्र मार्केटिंग फेडरेशन के धान खरीदी केंद्रों पर अपने धान की बिक्री के लिए पंजीयन करनेवाले 1,30,488 किसान बोनस के लिए पात्र पाए गए थे. जिन्हें बोनस के रूप में 2,47,11,46,380 रु. वितरित किए जाने थे. लेकिन सरकार ने लगभग एक माह पूर्व जिले के किसानों को वितरित करने के लिए 1,80,61,53,380 रु. की निधि उपलब्ध कराई. इस राशि से लगभग 90 हजार किसानों के खाते में बोनस की राशि हस्तांतरित की गई. जिसके बाद भी 40 हजार के करीब किसान बोनस की राशि से वंचित थे. इसके बाद 31 जुलाई को राज्य सरकार ने किसानों को बोनस के लिए फिर से 70 करोड़ रु. की राशि उपलब्ध कराई है. इससे बोनस की प्रतीक्षा कर रहे किसानों को भारी राहत मिली है. 10 करोड़ रु. की अतिरिक्त आवश्यकता बोनस वितरण के लिए राशि जून माह में उपलब्ध कराई गई. लेकिन वह भी संपूर्ण राशि एक साथ नहीं मिलने के कारण लगभग 40 हजार किसान बोनस की राशि से वंचित रह गए. अब फिर दो माह बाद 70 करोड़ रु. उपलब्ध कराए गए हैं. जिसके बाद अब शेष किसानों के खाते में बोनस की राशि जमा कराने का काम शुरू कर दिया गया है. जिला मार्केटिंग अधिकारी विवेक इंगले का कहना है कि इसके बावजूद लगभग 10 करोड़ रु. की अतिरिक्त आवश्यकता सभी किसानों को बोनस की राशि उपलब्ध कराने के लिए है. शेष राशि भी जल्द ही उपलब्ध होकर जिले के सभी किसानों को बोनस की राशि मिल जाने की उम्मीद है.

6 माह के लिए तड़ीपार 7 गंभीर अपराध दर्ज

गोंदिया : उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी के आदेश पर रामनगर थाना क्षेत्र के कन्हारटोली निवासी शातिर अपराधी मुनेश तिलकचंद नागपुरे को छह माह के लिए गोंदिया जिले से तड़ीपार किया गया है. कन्हारटोली निवासी शातिर अपराधि मुनेश नागपुरे चोरी-चकारी करके अपना जीवन यापन करता है. वर्ष 2022 से अब तक, हत्या, चोरी, घातक हथियार से चोट पहुंचाना, गालीगलौज, धमकी देना, सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील हरकतें करना और बिना लाइसेंस के हथियार का उपयोग करने जैसे 7 गंभीर अपराध दर्ज हैं. उसके इस हरकतों पर अंकुश लगाने के लिए रामनगर थाने के थानेदार बोरकुटे ने तड़ीपार का प्रस्ताव तैयार कर उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकरी को प्रस्तुत किया था. उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी के आदेश पर उपविभागीय पुलिस अधिकारी ने निर्धारित समय के भीतर उक्त व्यक्ति के तड़ीपार प्रस्ताव की प्रारंभिक जांच पुरी कर ली और उक्त अपराधि को गोंदिया जिले की सीमा से 6 महीने के लिए निर्वासित करने की सिफारिश की. अंततः उपविभागीय दंडाधिकरी चंद्रभान खंडाइत ने शातिर अपराधि को गोंदिया जिले की सीमा से 6 महीने की अवधि के लिए तड़ीपार करने का आदेश दे दिया.

नगर पंचायत कार्यालय, गोरेगांव ता. गोरेगांव, जि. गोंदिया

नपगो/जा.क्र./कावि/४१९/२/२०२५ Email Id: npgoregaon1@gmail.com

जाहिर प्रसिध्दीकरण

राज्यातील पात्र व्यक्तीना पारदर्शक, कार्यक्षम व समायोजित लोकसेवा देण्याकरीता तसेच लोकाच्या स्थानिक शासनाकडून वाढत्या अपेक्षा विचारात घेऊन त्यांना तत्पर व दर्जेदार सेवा पुरविण्याच्या दृष्टीकोनातून महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश 2015 दिनांक 28/04/2025 रोजी लागु करण्यात आला. सदर अध्यादेश निर्गमित करण्यामागे सार्वजनिक प्राधिकरणाने पुर्वी असलेल्या सेवा अधिनीयमाअंतर्गत अधिसुचीत करुन त्याप्रमाणे संबधित सेवा पुरविणे आवश्यक आहे. त्यामध्ये नगर पंचायत या नागरी स्थनिक सस्थांचा समावेश आहे. नागरी सस्थांमध्ये देण्यात येणाऱ्या विविध सेवा सुविधापैकी नागरीक यांना केद्र बिंदु मानुन नागरीकांना दैनदिन जीवनामध्ये सातत्याने आवश्यक असणाऱ्या व ज्या लोकसेवाचा जास्तीत जास्त फायदा घेतलेला आहे. तसेच ज्या सेवा महत्वाच्या आहेत अशा सेवा अध्यादेशाच्या कलम 3 (अ) नुसार अधिसुचीत करण्याबाबत. महाराष्ट्र शासन, नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.एमसीओ 2015/प्रक्र। 19/नवि 14 दिनांक 23/06/2015 नुसार शासनाने निर्णय घेतला आहे.

महाराष्ट्र शासनाने शासन निर्णयामध्ये नमुद केल्यानुसार एकुन 70 सेवा स्थानिक प्राधिकरणाने अध्यादेशाचे कलम 3 (अ) नुसार अधिसुचीत करावयाचे आहेत. त्यापैकी गोरेगांव नगर पंचायतीकडुन नागरीकांना देण्यात येणाऱ्या सेवाची संख्या 48 इतकी आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश 2015 कलम 3 अन्वये सदर 48 लोकसेवाची सुची, आवश्यक कागदपत्रे, फी, नियत कालमर्यादा, पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम अपिली अधिकारी व द्वितीय अपिली अधिकारी पदनिर्देशित करण्यात आले आहे. तरी नगर विकास विभागाने विविध शासन निर्णयद्वारे विहीत केलेल्या सेवाची यादी https://mahaulb.in/portaisite////aap/home या वेबपोर्टलवर व नगर पंचायत गोरेगांव नोटीस बोर्डावर प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे.

अमोल माळकर
मुख्याधिकारी गट-अ
नगर पंचायत गोरेगाव